(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 नवम् विधान सभा के प्रथम् सत्र का दूसरा दिवस (प्रथम बैठक) संख्या 2

शुक्रवार,

16 मार्च, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान ।

श्री अध्यक्ष : शपथ अथवा प्रतिज्ञान ।

(सदस्यों ने उनके नाम के आगे अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र.सं.	नाम सदस्य	शपथ/ प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री कुंजीलाल	शपथ	हिन्दी
	श्री चम्पालाल जैन (अनुपस्थित)		
2.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	शपथ	हिन्दी
3.	श्री जियालाल बंशीवाल (अध्यक्ष महोदय ने शपथ दिलायी)		हिन्दी
	श्री दलजीत सिंह (अनुपस्थित)		
4.	श्री नफीस अहमद खान	शपथ	हिन्दी
5.	श्री परसराम मोरदिया	शपथ	हिन्दी
	श्री हरिशचन्द्र (अनुपस्थित)		

Page No. 2

(2)

अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री हरिशंकर भाभड़ा का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा (188) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण बैरवा ।

श्री रामनारायण बैरवा . अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष ; प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री गोपीराम जाट (34) ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (188) : राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए । बधाई ।

(श्री हरिदेव जोशी, श्री नत्थीसिंह, एवं श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा के समीप जाकर उनसे अध्यक्ष पद ग्रहण का अनुरोध किया । तदुपरांत उन्हें ससम्मान अध्यक्षीय आसन ग्रहण कराया गया)

बधाई एवं शुभकामना

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं । मैं इस बात की भी शुभकामना प्रकट करता हूं कि आपकी अध्यक्षता में यह सदन सारे देश में एक आदर्श विधान सभा के रूप में जाना जाने लगे ।

वैसे भी मैं और विधायक इस बात का गर्व कर सकते हैं कि राजस्थान विधान सभा स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करने में किसी भी विधान सभा से पीछे नहीं रही । इस विधान सभा में स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करने में जिन लोगों का सहयोग रहा है, जिन लोगों का मार्गदर्शन रहा है, उनके प्रति भी मैं अपना सम्मान प्रकट किये बिना नहीं रह सकता ।

राजस्थान विधान सभा या कोई भी विधान सभा लोकतंत्र की प्रतीक है । जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बड़ी मेहनत के साथ चुनाव में विजयी होकर यहाँ आते हैं । उनके साथ जनता की भावनायें और आशाएं जुड़ी हुई रहती है । विधान सभा में आकर हम किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उसका जनता के ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा । लोकतन्त्र के प्रति आस्था जागृत करने के लिए भी आवश्यक है कि विधान सभा में सारे सदन का व्यवहार इस प्रकार का बने जिससे लोकतन्त्र के प्रति लोगों में आस्था जगे । मेरा इस बात पर भी विश्वास है कि इस बार हम सब मिलकर इस बात का प्रयास करेंगे कि राजस्थान की विधान सभा एक आदर्श विधान सभा के रूप में जानी जाय । अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका तो योगदान होगा ही, लेकिन मैं सत्ता पक्ष की ओर से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विधान सभा को आदर्श विधान सभा बनाकर इसके माध्यम से लोकतन्त्र के प्रति जनता में आस्था उत्पन्न हो, लोकतन्त्र का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आदर हो, लोकतन्त्र का लोग सम्मान करें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हृदय में मानकर उसके आधार पर चलने का निर्णय करें, इस दृष्टि से सरकार की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष में बहुत ही अनुभवी महानुभाव बैठे हैं। माननीय श्री जोशीजी 1952 से लेकर अब तक विधान सभा के सदस्य लगातार निर्वाचित हुए हैं। मैं समझता हूं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो एक ही क्षेत्र से लगातार चुने जाने वाले व्यक्तियों में हिन्दुस्तान में कोई दूसरा व्यक्ति शायद नहीं होगा। इसी प्रकार विपक्ष में चार भूत-पूर्व मुख्य मन्त्री बैठे हैं, कई मंत्री हैं और अन्यों ने भी कई पदों पर काम किया है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था का और सदन की गरिमा का, मैं यह कह सकता हूं कि उनको मेरे से ज्यादा अनुभव है, उत्तरदायित्व की समझ है। इस दृष्टि से मेरा यह विश्वास है कि हम सब आपस में मिलकर एक इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयत्न करेंगे जिसमें जन समस्याओं का समाधान, इस विधान सभा के माध्यम से हो सके और विधायक अपनी-अपनी समस्याओं को पुरजोर शब्दों में इस विधान सभा में रख सकें। मेरा विश्वास है कि जब तक सरकार की सदन में एक वाच डॉग की तरह से निगरानी नहीं रखी जायेगी, यह सम्भव है कि सरकार कोई कहीं गलती कर बैठे। इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जहां सत्ता पक्ष का उत्तरदायित्व है, मैं यह भी कह सकता हूं कि विपक्ष का उत्तरदायित्व किसी दृष्टि से कम नहीं है। हम कुछ करें उसमें गलती हो तो विपक्ष का धर्म है कि इस सदन में उस गलती के बारे में चर्चा करे और सदन के बाहर भी उसकी जानकारी दे। मैं तो चाहूंगा, सत्ता पक्ष में रहकर मैने पहले भी स्पष्ट किया है और आज भी कहना चाहता हूं कि लोग सत्ता का उपभोग करने नहीं आये हैं बल्कि इस सत्ता को जनता की सेवा का माध्यम बनाने के लिए आये हैं। यदि हम सब ने मिलकर राजस्थान की समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा की तो हमें सफलता मिलेगी। विपक्ष में जो अनुभवी माननीय सदस्य बैठे हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वे आलोचना के अपने अधिकार को किसी भी प्रकार से कम नहीं करें। लेकिन समय-समय के ऊपर वह हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सदन की ओर से पुनः बधाई देता हूं, आश्वासन देता हूं कि सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी जिस से इस पद की गरिमा घटे, सदन की गरिमा घटे। हम गरिमा बढाने के लिए उतरोत्तर काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, आप जिस आसन पर बैठे हैं उस पर आपको सफलता मिले, इस दृष्टि से मैं पुन: आपको बधाई देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अंतःस्थल से अपनी ओर से और विपक्ष की ओर से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

पिछले वर्षों में हमें आपको देखने का अनुभव हुआ है। आपमें हम एक सत्पुरुष के गुण पाते हैं। इससे हमें विश्वास होता

(श्री हरिदेव जोशी)

है कि आपके हाथों में यह सदन अपनी एक मिसाल कायम करेगा और यह स्थिति पैदा करेगा जिससे हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय, जब हम स्पीकर्स की याद करते हैं तो गणेश वासुदेव मावलंकर और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन की हमें याद आती है । इन दो महान व्यक्तियों ने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है स्पीकर्स के नाम के ऊपर । मैं आशा करता हूं कि आपके वे मार्गदर्शक होंगे । न केवल वे आपके मार्गदर्शक होंगे, वरन् हमको भी आपसे प्रेरणा मिलती रहेगी, जिससे, जैसा कि अभी कहा गया, डेमोक्रेसी मजबूत हो, जनता की आवाज यहां पहुंचे और हम राजस्थान के उत्थान के अन्दर कामयाब हों । इस मिशन में मैं ऐसी आशा आपके द्वारा करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी कहा गया, डेमोक्रेसी एक तरफा नहीं होती । डेमोक्रेसी में दोनों को अपना रोल अदा करना होता है, विरोधी पक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी । सत्ता पक्ष का अपना एक मार्ग है, अपना प्रोग्राम है, उसको पूरा करे । उसमें जितना भी हम उचित समझेंगे, सहयोग देंगे, हमारा सहयोग रचनात्मक होगा । मगर हमारी वाणी आप तक पहुंच सके, सदन के पास पहुंच सके, उसमें हमें आपका सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश यह स्थिति हिन्दुस्तान में पैदा नही हो सकी कि स्पीकर बगैर चुनाव के अनकन्टेस्टेड जा सके । अगर हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी यह कर सकेगी तो आपके पद की गरिमा और बढ़ जायेगी और यह स्थिति पैदा हो सकेगी भारत में कि हम फिर इस आलोचना से बच सकेंगे कि अध्यक्ष पक्षपात करते हैं अथवा अध्यक्ष का निर्णय ठीक नहीं है मगर यह सब भूतकाल की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, आज की स्थिति यह है कि हम आपसे यह आशा करते हैं कि आप सदन को विश्वास में लेकर, दोनो पक्षों को विश्वास में लेकर सबको साथ में लेकर के इस सदन का संचालन करेंगे जिससे जो आशाएं सदन के नेता ने की है वह पूरी हो सकें । उनको भी एक नया रोल मिला है । हम आशा करते हैं कि वह अपने उस रोल को बखूबी अदा करेंगे और हमको भी एक नया रोल मिला है हम समझते हैं, हम उसमें सफल होंगे । धन्यवाद । एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं ।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपके सर्व सम्मत निर्वाचन पर मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हम सरकार में शामिल हैं । हमारे सत्ता पक्ष के नेता ने जो कहा है उसके अनुसार निश्चित रूप से जनता की आवाज को अभिव्यक्ति सदन में हो, उसमें कोई रुकावट न हो । अब जब 41 साल के बाद ऐसा महसूस होने लगा था कि हिन्दुस्तान में हमारी अभिव्यक्ति के और हमारी जनता के जो ग्रिवेन्सेज हैं उनको किस तरह दूर किया जाये उसके लिये यह सदन जो सबसे बड़े स्थल थे उनमें कुछ कमियां आने लगी । आपके नेतृत्व में मुझे पूरी

(श्री नत्थी सिंह)

आशा है कि वह अभिव्यक्ति मुखर होगी वह तो होगी ही होगी लेकिन ऐसी भी होगी जिससे जनता का हम ज्यादा हित कर सकें। अभी दोनों हमारे रोल कर चुके मुख्य मन्त्री और भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों ने कहा कि निश्चित रूप से हम यहां पर एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिससे और लोग भी हमसे प्रेरणा ले सकें। मुझे पूरी आशा है कि आज की इन बातों को दोनों तरफ से निभाया भी जायेगा और इस सदन के द्वारा जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ-साथ जनता ने जो दिशा परिवर्तन का एक निर्णय किया है वह परिवर्तन भी साकार हो सके। आपके नेतृत्व में ऐसी मेरी कामना है। मैं पुनः आपको अपनी ओर से, अपने दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपके इस सदन के अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं यह समझता हूं कि हमारे राजस्थान की विधान सभा की परम्परा देश में जो विधान सभाएं हैं उनमें सब कुछ होते हुए भी उनके मुकाबले में कुछ ठीक रही है। यद्यपि पिछले कुछ अर्से में, पिछले दस सालों में विधान सभा में जिस तरह का वातावरण बना है, जिस तरह से जनता के प्रतिनिधियों की अभिव्यक्तियों को दबाने की कोशिश हुई है उससे विधान सभाओं का जो स्वरूप जनता महसूस करती है उसमें काफी अन्तर आया है। आज हमारी विधान सभा में एक बुनियादी परिवर्तन यह हुआ है कि जिन्होंने जनता की आवाज को उठाने की कोशिश की सत्ता पक्ष के खिलाफ वह सत्ता में है, जिन्होंने सत्ता का 30-40 साल तक उपभोग किया वह आज विरोध में है, उनको यद्यपि सत्ता का अनुभव बहुत ज्यादा है, उन्होंने जो राज किया है उसकी व्यवस्था का बहुत ज्यादा है पर वह अनुभव जो विरोध का है वह एक नया है और मैं समझता हूं थोड़े से अर्से को छोड़कर हमारे उन साथियों का भी अनुभव नया है। इस मामले में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की जनता ने जो एक शानदार परिवर्तन किया है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं वह सिर्फ काम से ही नही, इस सदन से भी महसूस होनी चाहिए। इस सदन के अन्दर जो कुछ होता है, जनता बड़ी उत्सुकता से उसका इन्तजार करती है कि आज क्या होगा, नया परिवर्तन क्या होगा। जो उन्होंने परिवर्तन किया है, मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हम उस परिवर्तन की झलक इस सदन में भी प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके सिलसिले में हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा आपको पुनः इसके लिये बहुत-बहुत हार्दिक बधाई।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष जी आपके इस निर्विरोध चुनाव के बारे में मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और हमारे सदन के नेता ने हाउस का कान्सेंस लेकर के जो सलेक्शन किया प्रोपर वह भी बधाई के पात्र हैं, विरोध पक्ष के स्टालवार्ट्स हैं आज राजस्थान के उन्होंने जो उदारता दिखाई है आपके चयन में, निर्विरोध चुनाव में, वह भी बधाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष जी, मुझे यह विश्वास है कि आप इम्पार्शल रहोगे। मुझे यह भी विश्वास है कि आप में पेशेन्स का बहुत बड़ा

Page No. 6

(6)

(श्री केदारनाथ)

माद्दा है। मुझे यह भी विश्वास है कि जब भी कभी डिस ऑर्डर होगा, वैसी सिचूएशन पैदा होगी और विट ह्यूमर से आप इसको डिफ्यूज करोगे मैं यह विश्वास करके चलता हूं। कई बार इस हाउस में डिस ऑर्डर कायम हुए, कोएटिक सिचुएशन पैदा हुई, बाद में डिफ्यूज होने के बाद हमारे दोनों पक्षों में यह सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा यह इस अगस्ट हाउस की बहुत बड़ी विशेषता रही है। हिन्दुस्तान राज्य हमारी रूलिंग को साइट करता है और हमारे ट्रेडीशंस एण्ड कंवेन्शन्स को याद करता है, उनसे प्रेरणा लेता है। जिन लोगों ने इस हाउस में बैठकर विरोध पक्ष में, हां पक्ष में अध्यक्ष ने जिन ट्रेडीशन्स और कन्वेन्शन्स को कायम किया जिससे राजस्थान के अगस्ट हाउस का नाम आज हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में है, मैं उन सबका अभिनन्दन करता हूं। यहां पर अध्यक्ष जी, कई बार रूल्स, रेगुलेशन्स को रिलेक्स करना पड़ता है, जैसी परिस्थितियां हुआ करती हैं, जैसी रियलिटीज हुआ करती हैं उसी अनुसार कई बार रिलेक्स करना पड़ता है।

अध्यक्ष जी, यहां पर डिबेट का दायरा बहुत बढ़ रहा है हालांकि हमारे ओर बिट नहीं आये वह सब्जेक्ट फिर भी अध्यक्ष पद से हमें इजाजत मिली कि हम अपनी बात कह सकें, उसका असर पड़ा है सरकार पर, विरोध पक्ष पर और आम जनता पर डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स पर।

अध्यक्ष जी, मैंने आपको जेल के अन्दर देखा। आपके ऊपर घोर संकट था, बीमारी की हालत थी, ऐसा लगता था कि डेथ बेड पर हो उस वक्त आपने अपना मनोबल कायम रखा और यह बड़ी खूबी है आप में। आप राज्य सभा के मैंम्बर भी रहे, पांच साल हमारे साथ पिछले हाउस में रहे, रूल्स की वाकफियत है। राजस्थान में एक संगठन को आपने चलाया, इसकी पूरी जानकारी है, कैरियर है। मुझे विश्वास है कि सरकार में आपका अनुभव है और विशेषकर विरोध पक्ष में जो स्टालवर्टर्स है चार पुराने मुख्य मन्त्री और दो बड़े रिनाउण्ड पार्लियामेंटेरियन, एक माननीय परसराम जी और माननीय बैद जी। आपको उनके अनुभव का, राजस्थान के विकास की जो धारा उन्होंने खींची है उनके अनुभवों का फायदा मिलेगा। यह अगस्ट हाउस अच्छी तरह चलेगा पांच साल तक, यह विश्वास करता हुआ मैं अपनी बधाई देता हूं।

श्री रामकरण सिंह (कोट पुतली) : इण्डिपेन्डेट्स जो माननीय सदस्य हैं उनकी तरफ से आपको बधाई देता हूं साथ में जो सदन के नेता और विरोध पक्ष के नेता हैं उनके विचारों में मेरे विचार समाये हुए हैं। साथ ही हमें यह विश्वास है कि आप इस सदन की गरिमा बढ़ाते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आप जैसा निष्पक्ष व्यक्ति, जो अपोजीशन में विशेषकर रहे हैं उन्होंने आज सत्ता पक्ष सम्भाला है तो इसमें अनुभव की तो दोनों तरफ ही कमी है लेकिन विश्वास है कि एक दूसरे का अनुभव लेते हुए, समझते हुए आपकी हर तरफ से हम सब लोग ही मिलकर मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।

आभार

श्री अध्यक्ष : राजस्थान प्रदेश के सर्वोच्च सदन के सदस्य महानुभावों, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप सबने सर्व-

(श्री अध्यक्ष)

सम्मति से मुझे वह आसन सम्भलाया है जिस पर बहुत बड़ा बोझ है। आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा, आप ही लोग बोलेंगे इस लिए आज मैं थोड़ा आपका समय लेना चाहता हूं।

इस आसन को अंग्रेजी में स्पीकर कहते है। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि इसका नाम स्पीकर क्यों पड़ा लेकिन मैं थोड़ा फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट में जिस समय वहां के राजा और पार्लियामेंट एकमत नहीं थे....

पार्लियामेंट निर्णय करती थी राजा माने या न माने यह जरूरी नहीं था। उस समय पार्लियामेंट के निर्णयों को राजा के पास स्पीक करने वाला स्पीकर कहलाता था। पार्लियामेंट निर्णय करती और जिस व्यक्ति के पास काम होता है उस निर्णय को उस मोनार्क को राजा को कन्वे करे उस व्यक्ति को स्पीकर कहा जाता था। दुर्भाग्य से शुरु-शुरु में यह पद अभिशप्त रहा है। इंगलैण्ड की पार्लियामेंट के इतिहास में दो स्पीकरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक स्पीकर जब पार्लियामेंट के डिसीजन को लेकर मोनार्क के पास गये तो उन्होंने बजाय उनकी बात सुनने के उसका कत्ल करवा दिया। फिर दुबारा पार्लियामेंट ने निर्णय लिया, दूसरा स्पीकर भेजा उसका भी कत्ल करवा दिया। फिर पार्लियामेंट ने तीसरी बार अपना निर्णय लेकर स्पीकर को भेजा। यहां से स्पीकर के पद की शुरुआत होती है। अब कम से कम यह तो नहीं है कि स्पीकर का कत्ल हो जायेगा लेकिन फिर भी एक तलवार थोड़ी बहुत लटकती रहती है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से इस तलवार को भी हटा दिया जाये और इस सर्वोच्च सदन को पूर्ण स्वायत्तता के साथ डेमोक्रेसी के जो सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों को पुष्ट करते हुए सारे माननीय सदस्य जो एक-एक लाखों के प्रतिनिधि हैं। बड़ी आशाओं से जनता ने आपको यहां भेजा है। बड़ी अपेक्षायें हैं जो आपसे जनता ने की हैं। मैं सदन के नेता की इस बात से सहमत हूं कि हम सब लोग यहां इस सदन के माध्यम से सेवा करने आये हैं। उस गरीब जनता की सेवा करने आये हैं जो आज बहुत ही कातिर दृष्टि से हमारी ओर निहार रही है। बड़ी अपेक्षायें हैं, उनकी उन अपेक्षाओं को पूरा करने का दायित्व इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का है। लेकिन कुछ प्रतिबन्ध आपने अपनी इच्छा से अपने ऊपर लगा लिये हैं यह आपने स्वयं स्वीकार किया है और उन प्रतिबन्धों को आप मानने के लिए स्वयं इच्छुक हैं ऐसे दो प्रतिबन्धों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। एक तो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आपने नियमों का प्रतिबन्ध अपने ऊपर ओढ़ लिया। सदन में जो नियमों की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अन्तर्गत ही बोला जा सकता है। इस बात को आपने स्वयं स्वीकार किया है और उस प्रक्रिया में अध्यक्ष की अनुमति से आप बोल सकते हैं।

दूसरा प्रतिबन्ध आपने स्वीकार किया है समय का। चाहे सेशन कितना ही लम्बा चले प्रतिदिन तो उतना ही होगा, 8 घंटे का 10 घंटे का आपको अपनी अधिकतम बात अपने निर्धारित और निश्चित समय में ही कहनी होगी। इसलिए यह समय का प्रतिबन्ध है और नियमों का प्रतिबन्ध जो

(श्री अध्यक्ष)

इस सदन ने अपनी इच्छा से अपने ऊपर लादा है, मुझे विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य अपने द्वारा लादे हुए इन प्रतिबन्धों से स्वयं प्रतिबद्ध रहेंगे और मुझे आपका ध्यान बार-बार नियमों की ओर आकर्षित नहीं करना पड़ेगा। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस सदन में बहुत अनुभवी लोग हैं दोनों ओर कुछ नये लोग भी हैं। मुझे तो सीखने को मिलेगा ही, मुझे तो आपने एक प्रकार से परीक्षा लेने के लिए यहां बैठाया है। मेरी तो परीक्षा शुरु हो रही है लेकिन मैं आप लोगों से कितना सीखूंगा यहां वर्तमान मुख्य मंत्री सहित चार भूतपूर्व मुख्य मंत्री, दो विधान सभा के अध्यक्ष रहे हुए बहुत अनुभवी जिनके नाम और नियमों का उल्लेख किया गया है इन लोगों से मुझे तो सीखने को मिलेगा ही लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारे जो जूनियर सदस्य है, वह हमारे किसी भी पार्टी के सम्मानित बुजुर्ग से सीखने की कोशिश करे उनके सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आये इस बात का थोड़ा ध्यान रखें तो मैं समझता हूं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों ने मेरे लिए जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आज के बाद मैं अपनी पार्टी के सभी पदों से त्याग-पत्र दे रहा हूं और जब तक इस आसन पर मैं हूं मेरे सामने कोई राजनैतिक विचार नहीं होंगे यह सदन होगा, सदन के नियम होंगे और इस सदन में आप राजस्थान की जनता के विकास और उन्नति के लिए जो निर्णय लेंगे वह होंगे इसके सिवाय कोई पार्टी कोई राजनीति मेरे ध्यान में नहीं रहेगी। फिर भी हो सकता है आखिर मैं मनुष्य हूं कभी गलती हो सकती है तो जैसा कि मैंने आप को पहले ही बताया कि जिन प्रतिबन्धों को आपने स्वयं स्वीकार किया व उनको याद करते हुये आप भी मेरा ध्यान रखेंगे और यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों का संरक्षण करने में कोई भी कदम मैं बाकी नहीं रखूंगा। सदन में भी और सदन के बाहर भी मुझे पता है विधान सभा के सेक्रेटरी के दो प्रमुख काम हैं सदन सुचारु रूप से चले, सदस्यों को समय पर विषय सूची या सामग्री जो मिलनी चाहिए वह मिले और दूसरे सदस्यों की सामान्य सुविधाओं की देखरेख करने के लिए सदन का सेक्रेटरी बाध्य है। मुझे पता है उसमें अभी बहुत कमियां हैं लेकिन उन सारी कमियों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और किसी भी माननीय सदस्य को बाहर या अन्दर मेरे से शिकायत नहीं होगी इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा। अन्त में एक श्लोक मैं आपको नीति का बताता हूं कृपया इसको किसी के विरुद्ध न समझें यह सामान्य श्लोक है। याद रखेंगे तो काम आयेगा :

"अज्ञ सुख माराध्यते
सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ

ज्ञान लव दुर्विदग्धम्
ब्रह्मा पि नर न रंजमति"

मूर्ख आदमी को समझाना सरल होता है और बुद्धिमान आदमी को समझना और भी सरल होता है वह तो इशारे से ही समझ जाते हैं उनको बात भी कहने की

Page No. 9

(9)

(श्री अध्यक्ष)

जरूरत नहीं होती है लेकिन जो न मूर्ख होते हैं न बुद्धिमान होते हैं उनको स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। इस बात के साथ में पुनः आप सब लोगों का आभार प्रदर्शन करते हुए और भविष्य में आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा मैं अपनी ओर से अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस आश्वासन के साथ मैं आप लोगों को फिर धन्यवाद देता हूं।

अब सदन की कार्यवाही आज तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.38 बजे (अपराह्न) तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई)

1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-1] नवम् विधान सभा के प्रथम सत्र का दूसरा दिवस (द्वितीय बैठक) [संख्या-3]

शुक्रवार

16 मार्च, 1990

विधान सभा की बैठक मध्याह्न पश्चात् 04.20 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

श्री भैरोंसिंह शेखावत का छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से त्याग पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत जो नवीं राजस्थान विधान सभा में दो निर्वाचन क्षेत्रों छबड़ा (114) और धौलपुर से निर्वाचित हुए हैं ने छबड़ा (114) निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 12 मार्च, 1990 से त्याग-पत्र दे दिया है, उसे स्वीकार कर लिया गया है।

दलीय स्थिति

विभिन्न दलों के सदन में निर्वाचित पदाधिकारी

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि विधान सभा में जनता दल, कांग्रेस (इ) एवं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपने अपने दलों के पदाधिकारियों की सूचना दी है जो निम्न प्रकार है :--

– जनता दल –

श्री नत्थीसिंह	नेता

– कांग्रेस (इ) –

श्री हरिदेव जोशी	नेता
श्री प्रद्युम्न सिंह	सचेतक
श्री जनार्दनसिंह गहलोत	सचिव

– कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी –

श्री हेतराम बेनीवाल	नेता

(व्यवधान)

कांग्रेस (ई) को विधान सभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता

मैं सदन को सूचित करता हूं कि राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस (ई) को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा उस पार्टी के नेता श्री हरि देव जोशी को प्रतिपक्ष का नेता मान लिया गया है।

(2)

(श्री अध्यक्ष)

सभापति तालिका

नवीं राजस्थान विधान सभा के सभापति पैनल के लिये निम्न नाम प्रस्तावित है :—

1. श्रीमती विद्या पाठक
2. श्री रघुवीरसिंह कौशल
3. श्री बी. डी. कल्ला
4. श्री श्री रामेश्वर दयाल यादव

समिति का गठन

कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों का मनोनयन

राजस्थान विधान सभा की कार्य-सलाहकार समिति के लिये निम्न नाम प्रस्तावित हैं :—

1. श्री भैरोंसिंह शेखावत – सदस्य
2. ,, हरिदेव जोशी – ,,
3. ,, हीरालाल देवपुरा – ,,
4. ,, भंवरलाल शर्मा – ,,
5. ,, कृष्ण कुमार गोयल – ,,
6. ,, नत्थीसिंह – ,,
7. ,, दिग्विजयसिंह – ,,
8. ,, केदारनाथ शर्मा – ,,
9. ,, सम्पतसिंह – ,,
10. ,, हरिकुमार औदिच्य – ,,
11. ,, ओमप्रकाश गुप्ता (स मु. सचेतक) – ,,
12. ,, भंवरलाल शर्मा (स. उप. मु. सचेतक) – ,,
13. ,, प्रद्युम्न सिंह – ,,
14. ,, हेतराम बेनीवाल – ,,
15. ,, हरिसिंह – ,,

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारी पार्टी की तरफ से चार नाम मांगे गये थे उनमें तीन नामों का ही अनाउन्स हुआ है, एक नाम रह गया है भूल से मुझे ऐसा प्रतीत होता है . . .

श्री अध्यक्ष : चैम्बर में बात करेंगे ।

गृह समिति के सदस्यों का मनोनयन

राजस्थान विधान सभा की गृह समिति के लिये निम्न सदस्य मनोनीत किये गये हैं :—

1. श्री महावीर प्रसाद जैन – सभापति
2. ,, गोपीराम जाट – सदस्य
3. ,, रमाकांत शर्मा – ,,
4. ,, चम्पालाल बांठिया – ,,
5. ,, राजेन्द्रसिंह राठौड़ – ,,
6. ,, दिलसुखराय – ,,
7. ,, महीपाल यादव – ,,
8. ,, रामेश्वर भारद्वाज – ,,
9. ,, देवेन्द्रसिंह – ,,
10. ,, हरिसिंह (महुआ) – ,,
11. ,, सुनील विश्नोई – ,,

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री दिनेशचन्द दलेला (सचिव, राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

(3)

(श्री दिनेशचन्द दलेला)

(1) राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1989

(2) राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989

(3) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) वियधेक, 1989

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री नरपत सिंह, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधानसभा एवं श्री दरबारा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, द्वितीय विधान सभा के सदस्य स्वर्गीय श्री नरपतसिंह जी और पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री दरबारासिंह जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, श्री नरपतसिंह जी द्वितीय विधान सभा के सदस्य थे । सामाजिक सेवा में उनकी बहुत रुचि थी और कई पत्र-पत्रिकाओं में वह हमेशा लेख लिखते थे और उस आधार पर राजनैतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उनकी निरन्तर सेवायें रही हैं । विधायक के रूप में भी उनका सदन की कार्यवाही में बहुत ही योगदान रहा है । वह हमारे बीच से उठ गये ।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को उनकी मृत्यु के कारण उत्पन्न हुए दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष महोदय, श्री दरबारासिंह जी का निधन आज के समय में हम सब के लिये बहुत ही दुखदायी है । मैं उनको व्यक्तिशः भी जानता था और उनसे मेरा निकट का सम्पर्क था और मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब में जिस प्रकार का आज वातावरण बना हुआ है उस वातावरण के मुकाबले में एक स्तम्भ की तरह से खड़ा होने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में से चला गया है । साधारण वेश–भूषा में रहने वाला इस प्रकार का दृढ़ व्यक्तित्व मैंने आज के समय में बहुत ही कम देखा है । मेरा विश्वास है कि पंजाब में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, पंजाब में जिस प्रकार का दूषित वातावरण बना, पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ीं उन सब का मुकाबला वैचारिक दृष्टि से किसी एक व्यक्ति ने पंजाब में रह कर किया है तो उसका श्रेय निश्चित रूप से श्री दरबारासिंह जी को दिया जायेगा । इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि विषम परिस्थितियों में भी अगर किसी व्यक्ति की दृढ़ इच्छा है तो परिस्थितियां उसमें परिवर्तन नहीं ला सकतीं । राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, राष्ट्र के प्रति उनका लगाव और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य को उन्होंने सदा अपने जीवन में आगे रखा । मैं समझता हूं कि हम सब के लिये उनका जीवन प्रेरणा देने वाला है । मेरा विश्वास है कि दरबारासिंह जी के जीवन से न केवल पंजाब के लोगों में ही साहस आयेगा बल्कि सारे देश में जो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं दरबारासिंह जी के जीवन को साक्षी लेकर वह इस प्रकार का साहस बटोरेंगे कि देश में पृथकतावादी ताकतों का मुकाबला करने में आदमी किस प्रकार से आगे बढ़कर आ सकता है ।

उनके प्राणों पर कई बार घातक हमले करने का प्रयास किया गया, कोई साधारण व्यक्ति होता तो डर जाता और घुटने टेक

(५)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देता लेकिन न उन्होंने प्राणों की चिन्ता की, न कभी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की चिन्ता की, उस व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही चिन्ता थी कि पंजाब भारत का एक हिस्सा है और इसको अलग करने की प्रवृत्ति का दरबारा सिंह विरोधी है। उन्होंने जीवन पर्यन्त इस बात का प्रयत्न किया कि पंजाब में इस प्रकार की विघटनकारी ताकतें किसी भी रूप में सफल नहीं हो जायं।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भावनाएं माननीय श्री नरपतसिंह जी के बारे में व्यक्त की है, उनमें मैं अपने आपको शरीक करता हूं।

दरबारा सिंह जी अच्छे कार्यकर्ता थे, जन सेवक थे और हमें उनके साथ रहने का अवसर मिला। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति के लिए अथवा एक प्रांत के लिए नहीं, श्री दरबारासिंह जी की क्षति पूरे देश के लिए क्षति है और आज वह अपूरणीय मालूम पड़ती है। माननीय दरबारा सिंह जी भारत की अखण्डता का टार्च-बीयरर है। आज अनेक लोगों की परीक्षा हो रही है, उसमें दरबारा सिंह जी एक रोशनी की तरह हमारे सामने, इस युग के लोगों के सामने आये हैं। मुझे उनके बहुत नजदीक रहने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला राजनीतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। श्री दरबारा सिंह जी में कहीं कोई कमजोरी नहीं थी इस मामले में। जिसे अनकम्प्रोमाइजिंग कहते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति थे वे भारत की अखण्डता के मामले में और राष्ट्रीयता के लिए वे अपने आपको होम कर सकते थे। वे चीफ मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर रहे, वह एक बात है मगर चीफ मिनिस्टर रह करके भी उन्होंने जो कुछ किया, वह हमारे लिए प्रेरणादायक था क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टरशिप के जमाने में ही पंजाब में कुछ झगड़े शुरू हो गये थे। जो स्टैण्ड उन्होंने लिया था, ऐसा लगता है, वह ही सही स्टैण्ड था उससे अगर कहीं पर भी कमजोरी दिखाई, दरबारा सिंह जी कहते थे कि हम यहां पर लुढ़क रहे हैं। वे किसी को भी सही बात कहने से नहीं चूके। इस मामले में जब कभी भी हम मीटिंग में बैठे हैं, एक ही बात सुनाई देती थी, यहां हमने गलती की है इसलिए कमजोरी आ रही है।

दरबारा सिंह जी एक अच्छे दोस्त थे, अच्छे साथी थे। उनकी क्षति समाज की क्षति है, राष्ट्रीय क्षति है। उस महान पुरुष के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : जो हमारे सदन के नेता ने स्वर्गीय नरपत सिंह जी के बारे में कहा, मैं उसकी ताईद करता हूं। वे अपने व्यवहार से अपने इलाके में लोकप्रिय थे। उनकी मृत्यु से हम सबको शोक हुआ है।

स्वर्गीय दरबारासिंह जी के बारे में मेरी बहुत निजी जानकारी है। पंजाब के स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनकी बहुत शानदार भूमिका रही हैं। पंजाब के निर्माण और प्रगति में भी उनका बहुत बड़ा हाथ

(श्री केदारनाथ शर्मा)

रहा है। आज पुरानी पीढ़ी के जो लोग बचे हुए हैं देश में, उनमें उनका प्रमुख स्थान है। कई बार उनसे काम पड़े, मिलने का मौका मिला। जब से टेररिस्ट एक्टीविटीज शुरू हुई हैं पंजाब में, उसको साफ करने के लिए उन्होंने अपनी हिम्मत से, बड़ी मजबूती के साथ उनके खिलाफ लाबी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रैलीज करना, पद यात्रा करना, प्रेस कान्फ्रेंस करना, वर्कर्स की मीटिंग करना, बड़ी निडरता से उन्होंने पंजाब में उनके खिलाफ लाबी पैदा की और वह दरबारा-सिंह जैसा ही आदमी था, जिसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी।

मैं अपनी ओर से तथा जनता दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेताओं ने जो नरपत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं उसमें शामिल हूं।

जहां तक सरदार दरबारासिंह जी का सवाल है, विशेष तौर से आज की परिस्थितियों में जो कुछ पंजाब में हो रहा है और जिस वक्त वे चीफ मिनिस्टर थे, शायद तब यह शुरू हुआ था। सिर्फ चार लोगों को बस से उतार कर मार दिया गया इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि पंजाब में सारे वातावरण का सख्ती से, उन परिस्थितियों का मुकाबला किया जाय। यद्यपि वे अपनी पार्टी में भी असहाय स्थिति में रहे और वे जो कुछ चाहते थे वे नहीं कर सके, पर उनकी भावनाओं की वजह से, मैं समझता हूं, पंजाब में ऐसे लोग कम बचे जो आज के वातावरण का मुकाबला कर सकें। पर आज नई परिस्थितियों मे भी, नई सरकार बनने के बाद भी पंजाब में जो हालात हैं, ऐसे लोगो के विरुद्ध हैं, जो वास्तव में यह चाहते हैं, दिल से यह चाहते हैं कि पंजाब की परिस्थितियां हमारे देश की मुख्य धारा में शामिल रहें। मैं समझता हूं, दरबारासिंह जी जैसे लोग, जो यह समझते हैं कि पंजाब को किसी कीमत पर भी बचाया जाय, वैसे लोगों का निशान, वैसे लोगों का जीवन अब नहीं रहा। वे हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे सारे देश का यह नुकसान है और राष्ट्रीय धारा का नुकसान है जो इस देश की अखण्डता को चाहती है।

मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह नुकसान शायद हम अपने उस हालात को मजबूत करके ही पूरा कर पायेंगे।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): माननीय अध्यक्षजी, नरपत सिंहजी बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। हमारे राजस्थान का बहुत नुकसान हुआ है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सुलझा हुआ था। उनको मैं सब निर्दलीयों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

दरबारा सिंहजी एक लौह पुरुष थे। वे इस देश के लिए इतने अच्छे काम करने वाले थे, जैसे हमारे विरोधी दल के नेता और सदन के नेता ने बात बताई, वे एक बहुत ही सुन्दर ढंग के व्यक्ति थे। उनमें हिम्मत थी, सराहनीय काम करते थे। किसी तरह से सबको मिलाकर रखना चाहते थे मगर उनकी क्षति जो हुई है, उससे देश को बहुत ही नुकसान हुआ है। इसलिए मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

(6)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोक और दुःख के माहौल में डूबे हुए इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य स्व. श्री नरपत सिंह एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री स्वर्गीय श्री दरबारा सिंह के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको भी भारी दिल से शरीक करता हूं।

स्वर्गीय श्री नरपत सिंह का जन्म कार्तिक सुदी 3 सम्वत् 1977 में सराणा में हुआ था। आप द्वितीय विधान सभा में रामराज्य परिषद् के टिकट पर जालौर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 27 वर्ष तक आई-पुरा ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। आपकी दार्शनिक साहित्य अध्ययन के प्रति अभिरुचि रही तथा आपने साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं में सामाजिक हित सम्बन्धी लेख लिखे। आप जिला स्तर पर राम राज्य परिषद् के अध्यक्ष रहे। जनता की सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

आपका निधन दिनांक 19 जुलाई, 1989 को हुआ।

श्री दरबारा सिंह का जन्म 10 जनवरी, 1915 में जालंधर जिले के खंडियाला ग्राम में हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दरबारा सिंह अपनी युवावस्था में ही आजादी की लड़ाई में कूद गये थे। उन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में ही कांग्रेस से नाता जोड़ लिया था तभी से वे राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। 1942 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान श्री दरबारासिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्हें सात साल की कैद हुई थी।

वह 1952 में पहली बार पंजाब विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गये एवं 1969 तक सदस्य रहे। वर्ष 1971 में आप लोकसभा के सदस्य चुने गये। वह 1980 के चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस (इ) विधायक दल के नेता तथा मुख्य मंत्री बने और अक्टूबर, 1983 तक मुख्य मंत्री रहे। 1984 में आप राज्य सभा के सदस्य चुने गये। अपने निधन से पहले तक वे कांग्रेस कार्य समिति और संसदीय दल के भी सदस्य रहे।

श्री दरबारा सिंह पंजाब में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के सशक्त विरोधी थे। मुझे याद है दिल्ली में सेन्ट्रल हॉल में, जब वे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही भरे दिल से यह कहा था कि यदि मुझे छूट दी जाय तो मैं पंजाब की समस्या को स्वयं ही हल कर सकता हूं। हो सकता है कुछ बातें उनके वश की नहीं थीं लेकिन उनकी इच्छा बड़ी प्रबल थी कि पंजाब की समस्या का समाधान किसी भी तरह से किया जाय। वे आतंकवादियों और अलगाव-वादियों के सख्त खिलाफ थे।

आपका निधन दिनांक 11 मार्च, 1990 को बीमारी के कारण हुआ।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों को उनके बिछोह को सहन करने की शक्ति दे।

(7)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य कृपया दो मिनट के लिए मौन खड़े रह कर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदुनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत व्यक्तियों को श्रृद्धांजलि अर्पित की।)

सदन की कार्यवाही दिनांक 20–3–90 को प्रातः 11–00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही सायं 4–42 बजे मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 1990 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(8)

परिशिष्ट 1

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

नवम् विधान सभा के पहले सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है। माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

पिछले चार महीनों में जनता ने दो बार स्पष्ट जनादेश देकर प्रदेश का राजनैतिक परिदृश्य बदल दिया है। पहले केन्द्र में तथा बाद में प्रदेश में सरकार बदल कर उसने सत्ता परिवर्तन की अपनी इच्छा की स्पष्ट अभिव्यक्ति की है। जनता द्वारा किया गया यह परिवर्तन नई व्यवस्था एवं मूल्यों का परिवर्तन है। इस परिवर्तन से देश में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। जहां इससे जनता में नया विश्वास व नयी आकांक्षाएं जगी हैं, वहीं सरकार का यह विशेष उत्तरदायित्व बना है कि वह जनता की इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाये। मेरी सरकार आपसी सामंजस्य एवं सहमति की प्रक्रिया अपनाकर इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने के लिए वचनबद्ध है।

लम्बे समय तक सत्ता पर किसी राजनैतिक दल का एकाधिकार, प्रशासन में निरंकुशता, भ्रष्टाचार, जनहितों के प्रति उदासीनता व भाई-भतीजावाद फैलाता है। पिछले दस वर्षों में प्रदेश के प्रशासन में गिरावट आयी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। फिजूलखर्ची व वित्तीय साधनों के अपव्यय के कारण अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में विकास विनियोग कम हुआ है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में विकास की गति धीमी हुई है। प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही समाप्त सी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी व जनता दल को प्रदेश की जनता ने विधान सभा में दो तिहाई बहुमत दिया है, वह प्रदेश का तेजी से विकास करने व स्वच्छ प्रशासन देने का जनादेश है। सरकार की रीति–नीति की यही दिशा होगी।

पिछले दस वर्षों में जनता और प्रशासन के बीच एक खाई पैदा हो गई थी। जनतंत्र में शासक वर्ग व शासित वर्ग अलग–अलग नहीं होता, जनता ही शासन प्रबन्ध एवं व्यवस्था के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है जो प्रशासन को दिशा देकर उससे जन आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करवाते हैं। यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने को शासक समझने लगें तो उससे प्रशासन में निरंकुशता पनपती है और इससे जनता व सरकार के बीच दूरी बढ़ जाती है। सरकार एक वर्ग विशेष की बनकर रह जाती है। मेरी सरकार का लगातार यह प्रयास होगा कि सरकार व जनता के बीच खाई पैदा न हो। व्यापक सहमति से विभिन्न जन समस्याओं का हल किया जाये। नीतियों के निर्धारण व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार व जनता के बीच निकट सम्पर्क तथा विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। सरकार के कार्य में जनता की भागीदारी स्थापित करना सरकार का कर्तव्य है। इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए सरकार कृत संकल्प है। इस भागीदारी के आधार पर ही सरकार की नीतियां

(अभिभाषण)

बनेंगी, इसके लिए नीति निर्धारण के वर्तमान ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे ।

पिछले वर्षों में सार्वजनिक कोष का जिस बेदर्दी से दुरुपयोग हुआ है उससे राज्य की वित्त व्यवस्था चरमरा गई है। इस चरमराती वित्त व्यवस्था को ठीक करने की भारी जिम्मेदारी नई सरकार पर आ गई है और वह इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के पूर्व के दो महीनों में पिछली सरकार ने हड़बड़ी में जो फैसले किये वे जनहित के स्थान पर दलहित की भावना से प्रेरित थे। सरकार ऐसे सभी फैसलों पर पुनर्विचार करेगी।

जनतांत्रिक संस्थाओं के समय पर चुनाव होने आवश्यक हैं। नगरपालिकाओं, नगर परिषदों व कृषि उपज मंडियों के चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं कराये गये हैं। जन प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासक लगाकर इन स्थानीय संस्थाओं को सरकार के विभागों के रूप में चलाया गया है, जो नितान्त अनुचित है। नयी सरकार द्वारा नगरपालिका वार्डों के पुनर्सीमन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इन सभी संस्थाओं के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायेंगे। इसी प्रकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी समय पर कराये जायेंगे।

जनता, प्रशासन से निष्पक्ष व्यवहार व न्याय की अपेक्षा करती है। राजनैतिक इच्छा की कमी के कारण प्रशासन जनहित के प्रति उदासीनता बरतने लगता है। गलत आचरण करने वाले तत्व हावी हो जाते हैं। सही कार्य भी समय पर करवाने के लिए जनता को मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश को संवेदनशील व ईमानदार प्रशासन देने की है। मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के सुझाव पर मुख्य मंत्री के आचरण को लोकायुक्त कानून के अन्तर्गत लाने का निर्णय सरकार ने लिया है। कानून में इस आशय का संशोधन किया जायेगा। प्रशासन में ईमानदारी का वातावरण बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। शीर्ष स्थानों पर बैठे व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे स्वयं ईमानदारी बरतें तभी वे दूसरों को सही आचरण के लिए प्रेरित कर पायेंगे तथा गलत काम करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सकेंगे।

सरकार द्वारा उन सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन किया जायेगा जिनके कारण भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन की वर्तमान व्यवस्थाओं को अधिक कारगर बनाया जायेगा। कई कामों के लिए अकारण ही जनता को बार–बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं इसके निराकरण के लिए विभिन्न विभागों में कार्य निपटाने की वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन कर उसमें प्रक्रिया सम्बन्धी सुधार किये जाएंगे ताकि राजकाज तेजी से निबटे। जनता शासन ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घर बैठे न्याय देने, प्रशासन को ग्रामोन्मुखी बनाने तथा खुली प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए 1977 में सर्वप्रथम राजस्व अभियान चलाया था। अब पुनः सरकार गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीण जनता की विभिन्न समस्याओं को हल करेगी। ऋण लेने वालों को फार्म भरते समय विभिन्न प्रकार

(10)

(अभिभाषण)

के प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। सरकार ऋण शिविरों को आयोजित करके इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि एक ही जगह पर ऋण लेने वालों को सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र मिल जायें।

सरकार की दूसरी बड़ी प्राथमिकता प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव व अमन चैन स्थापित करने की होगी। पिछले वर्ष प्रदेश में कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। प्रच्छन्न रूप से निहित स्वार्थों ने तनाव पैदा कर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की चेष्टा की। दंगों पर समय पर काबू नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिगोद, मकराना, कोटा व जयपुर में व्यापक आगजनी व हिंसा हुई सरकार सभी वर्गों को, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक, आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। दंगा करने व अशान्ति फैलाने वाले तत्वों से सरकार सख्ती से निपटेगी। सरकार की गतिविधियों पर सभी धर्मों व सम्प्रदायों के व्यक्तियों का बराबर हक है। सभी को सरकार से न्याय की अपेक्षा है। सभी व्यक्ति निष्पक्ष निर्णयों के हकदार हैं। अपराधी तत्वों को संरक्षण देने के कारण स्थानीय स्तर पर समाज कंटकों का आतंक पनपता है जिससे आम आदमी को त्रास व घुटन की जिन्दगी जीनी पड़ती है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में साम्प्रदायिक विद्वेष को लेकर लोगों में कटुता न पनपे और सभी लोग परस्पर मिल जुलकर शांति से रह सकें।

इसी प्रकार दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा ताकि इन क्षेत्रों में जनजीवन सुरक्षित रह सके और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर तेजी से विकास हो सके। पुलिस व्यवस्था में सुधार करना सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। सरकार का यह प्रयास होगा कि पुलिस व प्रशासन के हाथों जनता को सामाजिक सुरक्षा व न्याय मिले। सरकार सर्वधर्म-समभाव व 'बहुजन हिताय, बहुजन-सुखाय' की भावना से जनहित के लिए कार्य करेगी।

राजस्थान एक साधन सम्पन्न किन्तु पिछड़ा प्रदेश है। यहां के लोगों की कठिन मेहनत करने तथा जोखिम लेने की क्षमता सारे देश में विख्यात है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों द्वारा लगाये गये उद्योग इस बात की पुष्टि करते हैं। विस्तृत भू-भाग उन्नत पशुधन, विपुल खनिज सम्पदा, उपजाऊ अन्नपूर्णा धरती, प्राकृतिक विविधताएं व मनमोहक हस्तकलाएं हमारे विकास के आधार स्तम्भ हैं। यह राजस्थान की त्रासदी है कि विपुल सम्भावनाओं के बावजूद आज भी राजस्थान की गिनती देश के पिछड़े प्रदेशों में होती हैं। शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बिजली, उद्योग, सड़कें, सिंचाई व कृषि आदि सभी क्षेत्रों में हमारी गिनती देश के अन्तिम चार-पांच राज्यों में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से 1970-71 में राजस्थान का देश के 17 बड़े राज्यों में छठा स्थान था। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण अब राजस्थान विकास की दृष्टि से नीचे गिरकर दसवें स्थान पर पहुंच गया हैं। इस प्रकार की विकास व्यवस्था व विकास संरचना में परिवर्तन आवश्यक है। सरकार की यह कोशिश होगी कि

(1:1)

(अभिभाषण)

व्यापक सहमति से योजनागत प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों का पुनः निर्धारण किया जाय ताकि विकास योजनाओं में लगने वाली धनराशि का प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिले। जिन प्रवृतियों में कम विनियोग से अधिक लाभ मिल सकता है उन प्रवृतियों में विनियोग बढ़ाया जायेगा। स्थानीय प्राथमिकताओं व सम्भावनाओं को देखते हुए विकास योजनायें बनाई जायेंगी। सामाजिक तथा आर्थिक लाभ का सामंजस्य बैठाकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जायेगा। प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे से सरकार एक श्वेत-पत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

खेती पर पूरा ध्यान नहीं देने के कारण पिछले वर्षों में प्रदेश में किसानों की स्थिति बिगड़ी है। उन्हें समय पर खाद, बीज, फसली ऋण नहीं मिल पाता है। बिजली की कमी की परेशानी तो है ही। राज्य के आधे से अधिक जिलों में आज प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन का स्तर पहले से गिरा है। इन जिलों में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि की दर से कम है और इस कारण वहां उत्तरोतर खाद्यान्नों की कमी पड़ती जा रही है। इन जिलों में कृषि विकास की धीमी गति से उत्पन्न गरीबी को हर हालत में हमें रोकना होगा।

सरकार सिंचाई कार्य के लिए भू-जल के दोहन पर विशेष ध्यान देगी। कुएं खोदने के इच्छुक किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से भू-जल स्रोतों की जानकारी दी जायेगी। नये कुओं के लिए एक बीमा व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जायेगा ताकि जिस किसान के कुएं में पर्याप्त पानी नहीं आये, उसके द्वारा खर्च की गई राशि का बीमे के आधार पर सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जा सके। इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा के पानी का संरक्षण कर उन्नत बारानी खेती का एक विशेष कार्यक्रम चलाया जायगा। कृषि उत्पादन की विशेष सम्भावना वाली पंचायत समितियों में पृथक से सघन कृषि विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। गांव के अन्य किसानों को नेतृत्व दे सकने वाले प्रगतिशील किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जायगा। प्रत्येक गांव, विकास खंड व जिले में किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर उनकी सलाह से सहभागी कृषि विकास योजना चलाई जायेगी। फसल बोने के एक माह पूर्व यथेष्ठ मात्रा में बीज सभी क्षेत्रों में पहुंचाने की व्यवस्था की जायगी। रासायनिक खाद व बीज किसानों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए खाद व बीज विक्रय के अतिरिक्त केन्द्र खोले जायेंगे तथा विद्यमान खाद विक्रेता लाइसेंस प्रथा में सुधार किया जायेगा। किसानों के ऋण माफ करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया जा रहा है। सरकार इस बारे में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने को प्रतिबद्ध है। ऋण माफी देशव्यापी प्रश्न है अतः इसकी क्या प्रक्रिया होगी इसका निर्णय केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जायेगा, इससे छोटे किसानों को राहत मिलेगी। फल विकास, रेशम कीट पालन व सोयाबीन की खेती पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

कृषि के साथ ही पशुपालन प्रदेश की प्रमुख व आर्थिक प्रवृत्ति है। अब तक पशु

12

(अभिभाषण)

चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने पर ही जोर दिया जाता रहा है । अब सरकार पशु नस्ल के सुधार पर विशेष ध्यान देगी और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृत्रिम गर्भाधान के लिए "गोपाल" नाम से एक विशेष योजना प्रारम्भ करेगी ।

देश का 40 प्रतिशत से भी अधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है । फिर भी प्रदेश में ऊन उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है । ऊन उद्योग के विकास हेतु सरकार समुचित कार्यवाही करेगी । मत्स्य पालन कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी तथा उसमें आवश्यक सुधार किये जायेंगे । कृषि विकास को सरकार विशेष महत्व देगी और अपने बजट का 60 प्रतिशत भाग कृषि व ग्रामीण विकास पर खर्च करेगी ।

राजस्थान में पानी की कमी है । कम वर्षा होने के कारण प्रदेश में भू-जल स्तर गिर गया है । कई जिलों में भू-जल का अत्यधिक दोहन होने से भविष्य में पेयजल के लिए भू-जल दोहन की सम्भावनाएं समाप्त सी हो गई हैं । अतः सरकार प्रदेश के जल संसाधनों के समन्वित विकास व उपयोग के बारे में व्यापक सहमति से एक नीति बनायेगी । इस नीति से भू-गर्भ जल के दोहन, फव्वारा (स्प्रिंकलर) खेती व बूंद-बूंद सिंचाई (Drip-Irrigation) द्वारा उपलब्ध जल के कुशल उपयोग, खेतों में ही वर्षा के पानी के संरक्षण द्वारा शुष्क खेती, जल बजट आदि का समावेश किया जायेगा । पानी के सही व अधिकतम उपयोग की बात हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है । प्रदेश की जनता का भविष्य भी इस बात पर निर्भर है । पिछली सरकार नदी जल के अन्तर्राज्यीय विवादों में राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं रख पाई थी । पिछली सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार व अन्य राज्यों से प्रदेश के हितों की उपेक्षा कर जो करार किये हैं उससे नयी सरकार के समक्ष उलझनें पैदा हो गई हैं । वर्तमान सरकार ऐसे विवादों में प्रभावी रूप से राजस्थान के हितों की रक्षा करेगी । इस कर्तव्य निर्वहन करने में वह किसी भी प्रकार के दबाव के सामने नहीं झुकेगी ।

करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी पीने के पानी का संकट है । पेयजल के अब तक किये गये प्रयासों की समीक्षा की जाकर पारम्परिक विकेन्द्रित व क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जायेंगी । पेयजल समस्या के समाधान में जनता की भागीदारी स्थापित करने का भी प्रयास किया जायेगा ।

आज प्रदेश में बिजली की भारी कमी है । इससे प्रदेश के किसानों व उद्यमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । विद्युत उत्पादन बढ़ायें बिना प्रदेश में गहराते विद्युत् संकट को दूर नहीं किया जा सकता । सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दी जायगी । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धौलपुर, सूरतगढ़ व मांडलगढ़ ताप विद्युत् परियोजनाएं भारत सरकार में अटकी पड़ी हैं । कारगर ढंग से पैरवी नहीं किये जाने के कारण पिछली सरकारें इन्हें मंजूर नहीं करा पाई थी । ऐसा ही हाल पलाना लिग्नाइट

(अभिभाषण)

योजना का है। यदि यही हालत रही तो आठवीं योजना के अन्त तक बिजली की मांग व सप्लाई का अन्तर बढ़कर 35 प्रतिशत हो जायेगा। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार, केन्द्रीय ऊर्जा आयोग व योजना आयोग से वार्ता कर इन योजनाओं को स्वीकृत कराया जायेगा। अन्तर्राज्यीय योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनाओं से भी अतिरिक्त बिजली लेकर विद्युत् आपूर्ति बढ़ाने की चेष्टा की जायेगी। निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिये भी प्रयास किये जायेंगे। किसानों को बिजली कनेक्शन देने में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कनेक्शन देने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जायेगा। इसी प्रकार बिजली की चोरी व बिजली के अपव्यय की कारगर रोकथाम तथा विद्युत् मण्डल की अन्य व्यवस्थाओं में भी सुधार लाया जायेगा।

नगरीय क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के कारण नगरीय विकास व आवासन की समस्या पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण पिछली कांग्रेसी सरकारों ने कृषि भूमि के किस्म परिवर्तन के कार्य को उलझाया और अधिकांश मामलों में सहकारी समितियों व प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाकर आम जनता के हितों की उपेक्षा की। सरकार आवास समस्या का हल करने के उद्देश्य से कृषि भूमि के रूपान्तरण की प्रक्रिया का सरलीकरण, राजस्थान आवासन मंडल की व्यवस्था में सुधार तथा भवन निर्माण हेतु अधिक साधन उपलब्ध कराने सम्बन्धी सभी बिन्दुओं पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेगी।

साक्षरता की दृष्टि से 1951 में राजस्थान का नीचे से दूसरा स्थान था। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद आज भी देश में राजस्थान का स्थान नीचे से दूसरा ही है। यह हमारे लिये बड़ी चिन्ता की बात है। यदि यही स्थिति रही तो अगली शताब्दी के मध्य तक भी हम सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। निरक्षरता गरीबी से भी बड़ा अभिशाप है और इसे मिटाने के लिये सरकार पिछले अनुभवों की समीक्षा कर प्रभावी नवाचार प्रारम्भ करेगी। इसी प्रकार महिला शिक्षा व पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। बच्चों की अधिक मृत्यु दर, जनजाति क्षेत्रों व रेगिस्तानी क्षेत्रों में तपेदिक का फैलाव, पेयजल जनित नारू व फाइलेरिया रोग, बढ़ता अन्धापन, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, अस्पतालों में गरीब मरीजों की उपेक्षा और अभिजात्य वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान आदि बातें वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था की रुग्णता की ओर इंगित करती हैं। इन सब पर विचार करके व्यवस्था में सुधार किया जायेगा।

राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं खनन विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं। बिजली की कमी, उद्यमियों की कठिनाइयों का समय पर निराकरण नहीं होने, केन्द्रीय विनियोजन की कमी, आधातभूत सुविधा के अभाव व औद्योगीकरण की नीतियों की जड़ता के कारण राजस्थान में समुचित औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है।

Page No. 23

(14)

(अभिभाषण)

यद्यपि उद्यमियों की सहायता के लिये सरकार ने राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान खनिज विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम आदि संगठनों की स्थापना की है, लेकिन समुचित संवेदना के अभाव में ये संस्थाएं उद्यमियों की समस्याओं को हल नहीं कर पाई हैं। एक ही स्थान पर उद्यमी को सभी सुविधायें मिलें, इस बात की परिकल्पना बहुत समय पहले से की गई थी लेकिन सामन्ती प्रशासनिक संस्कृति के कारण इसे प्रदेश में मूर्तरूप नहीं दिया जा सका। सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं का आंकलन कर इनमें आवश्यक परिवर्तन करेगी। उद्योग लगाने के लिये उद्यमी को विनियोग पर अनुदान देने की योजना को सरकार पुनः लागू करने पर विचार करेगी। अधिक रोजगार देने वाले व प्रदेश में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अनुदान में विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। राजस्थान में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाने की सम्भावनाओं पर अध्ययन कराया जाकर समुचित कार्यवाही की जावेगी। राजस्थान की वर्तमान औद्योगिक नीति जनता सरकार ने 1978 में बनाई थी। औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर नई औद्योगिक नीति बनाई जावेगी। इस कार्य में उद्यमियों का भी सहयोग लिया जायेगा। प्रदेश में व्यापक पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता फैली हुई है जिसका हल ढूंढना आवश्यक है। इसमें बैंकों का भी सहयोग लेकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

छोटे उद्योगों, हस्तकला, खादी एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास कर उसमें अधिक रोजगार देने के प्रयास किये जायेंगे। हस्तकला उद्योग की दृष्टि से राजस्थान का देश में विशेष स्थान है। हस्तकला उत्पादों के निर्यात की सम्भावनायें भी काफी हैं। इनसे दस्तकार विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं, अतः सरकार द्वारा हस्तकला विकास के लिये एक विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा।

अब तक हुए खनन विकास के कार्यों का आंकलन कर अधिक प्रभावी ढंग से खनन विकास किया जायेगा ताकि राजस्थान में उपलब्ध खनिज संसाधनों का राज्य के हित में सही रूप से दोहन हो सके। खनिजों की रायल्टी की वसूली में जो अपवंचन होता है उसको रोकने की कारगर कार्यवाही की जावेगी तथा राज्य के साधनों को बढ़ाया जायेगा। प्रदेश की खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग लगवाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा लगाये गये कई उद्योग घाटे में चल रहे हैं, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्य की समीक्षा कर लाभ में नहीं चल पाने वाले उद्योगों को बन्द करने पर विचार किया जायेगा।

गरीबी और बेरोजगारी की समस्या राज्य के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों में से एक है। वित्तीय संसाधनों की कमी और तेजी से बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल होती जा रही है। अधिक रोजगार प्रदान करने वाले विकास कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक चयन किया जायेगा। कृषि, पशुपालन,

(15)

(अभिभाषण)

वन विकास, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, ग्रामीण सड़कों आदि रोजगारपरक कार्यक्रमों में विनियोजन बढ़ाकर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे। रोजगार के विशेष कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सुधार का प्रयत्न किया जायेगा जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। सरकार द्वारा किये जा रहे प्रत्येक विकास कार्यक्रम को रोजगार संभावना की दृष्टि से परखा जायेगा।

शिक्षित बेरोजगारों की समस्या सब की चिन्ता का विषय है इसके समाधान हेतु स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर जुटाने होंगे। रोजगार चलाने के लिये उन्हे विशेष प्रशिक्षण व आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। परम्परागत व्यावसायिक कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जायेगा। बेरोजगारों को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करवाकर तथा उसका अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित कर स्व नियोजन के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को सरकार से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अपेक्षा है प्रदेश में जनता सरकार ने गरीब व्यक्ति को "गणेश" मानकर उसे अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र बिन्दु बनाया था। गरीब व्यक्ति का सरकार के खजाने पर पहला हक हो इस दृष्टि से अन्त्योदय योजना वर्ष 1977 में लागू की गई थी। गरीबी उन्मूलन की यह एक नई दिशा थी। सर्वत्र इसकी सराहना हुई थी। भारत सरकार ने इस योजना को वर्ष 1980 से एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के नाम से अपना लिया था। सामाजिक चेतना तथा राजनैतिक सम्बल के अभाव में पिछले वर्षों में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में चयन में पक्षपात ऋण देने में भ्रष्टाचार आदि कई विकृतियां आ गई हैं। अब यह कार्यक्रम परिसम्पत्ति देने तक ही सीमित रह गया है। इस कार्यक्रम में चयनित परिवारों को विभिन्न विभागों अपनी द्वारा प्रवृत्तियों से लाभ पहुँचाने की कोई योजनाएं नहीं हैं। वर्षों की संचित गरीबी एक या दो बार वित्तीय सहायता देकर दूर नहीं की जा सकती, उसके लिए लम्बे समय तक लाभान्वित व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। गरीबी की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को उसका अनुभूति से देखना होगा।

मेरी सरकार गरीबी को विभिन्न सरकारी विभागों की प्रवृत्तियों का केन्द्र बिन्दु बनायेगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन आदि विभागों द्वारा चयनित गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय योजना लागू की जायेगी ताकि विभिन्न दिशाओं से इनकी गरीबी पर प्रहार किया जा सके। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों के विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी तथा मूल्यांकन के आधार पर उनमें आवश्यक सुधार किये जायेंगे ताकि यह विकास योजनाएं यथार्थपरक बन सकें और उन्हे विकास कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ मिल सके। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के उत्पीड़न को सख्ती से रोका जायेगा। जनजाति

(अभिभाषण)

क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध छोटे-छोटे मामलों को लेकर हजारों मुकद्मे दर्ज किये गये हैं। सरकार ऐसे मामलों की समीक्षा करेगी तथा इसके आधार पर उन्हे अपेक्षित राहत पहुंचायेगी महिलाओं की समस्याओं पर पिछले वर्षों में व्यापक सहमति बनी है। महिला शिक्षा व महिला कल्याण के कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। राज्य स्तर पर भी इनकी समीक्षा की जाकर इनमें आवश्यक परिवर्तन करने की चेष्टा की जायेगी। इन कार्यक्रमों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन आवश्यक हैं। इन कार्यक्रमों के निर्माण में जनता की भागीदारी होनी चाहिये। इन कामों में खर्च की जाने वाली राशि में 85 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार होने की बात स्वयं भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने बार बार कही थी। इसके बावजूद पिछली सरकार ने इसके रोकथाम के कोई उपाय नहीं किये। वर्तमान सरकार इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि विनियोजन की राशि का सही उपयोग हो सके।

सामुदायिक विकास का उद्देश्य समुदाय में स्वावलम्बन की भावना पैदा करना है, लेकिन विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाओं पर आधारित वर्तमान विकास प्रणाली ने विभिन्न क्षेत्रों में याचकों तथा बिचौलियों के बड़े समुदाय को खड़ा कर दिया है। इसी कारण सामाजिक चेतना के अभाव में बिचौलिये गरीबों के नाम पर अपनी स्वार्थसिद्धि में सफल हो जाते हैं। विकास के बारे में सरकार की परिकल्पना सहभागी विकास की है जिसमें प्रशासन एवं लाभान्वित व्यक्तियों की पारस्परिक भागीदारी हो। सरकार समता के आधार पर सहभागी रूप से विकास योजनायें लागू करने का प्रयास करेगी।

परिवहन की दृष्टि से भी राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। छोटे-छोटे गांव को सड़कों से जोड़ने के लिये एक मास्टर प्लान बनाया जायेगा। साधनों की कमी से जिनों क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन पाती हैं, वहां पुलियाओं का निर्माण कर यातायात में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जायेगा।

राजस्थान की अपनी सांस्कृतिक, विशेषतायें हैं। विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक विविधताओं और गरिमामय इतिहास एवं उत्कृष्ट स्थापत्य कला के कारण यह पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। पर्यटन के विकास हेतु दीर्घकालीन नीति बनाई जायेगी। इसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जायेगा।

पिछले वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है लेकिन इनका सरकारीकरण होने के फलस्वरूप इनकी प्रवृत्तियों में सदस्यों की प्रभावी भागीदारी नहीं पनप पायी है सरकार का प्रयास होगा कि इन संस्थाओं के चुनाव समय पर हों। वर्तमान

(अभिभाषण)

सहकारी अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा कर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन में आयी खामियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। सहकारी संस्थाओं व पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग तथा महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

वर्षा की कमी के कारण राजस्थान में अकाल प्रायः पड़ते रहते हैं। पिछली सरकारों ने अकाल के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये लेकिन अकाल की चुभन को स्थायी रूप से कम करने के प्रभावी प्रयास नहीं हो पाये। सरकार पंचवर्षीय योजना के साथ अकाल राहत की पंच–वर्षीय योजना भी बनायेगी ताकि किसी वर्ष अकाल की स्थिति होने की दशा में योजना कार्यों व अकाल राहत कार्यों में सामंजस्य बिठाया जा सके तथा अकाल राहत खर्च व योजना खर्च एक दूसरे के पूरक बन सकें। इससे अकाल राहत व्यय से स्थाई कार्य हो पायेंगे तथा सही ढंग से अकाल राहत का पैसा खर्च हो सकेगा।

सरकार इस सत्र में राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1990, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 आपके समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत करेगी।

माननीय सदस्यगण, प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अनिवार्यता को देखते हुए आवश्यक है कि सभी लोग आपसी सहयोग से प्रदेश के विकास को नई दिशा दें। प्रदेश के विकास में सभी की भागीदारी है। विकास से जुड़े हुए प्रश्न दलगत राजनीति से ऊपर हैं। जनता की आकांक्षा है कि प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था संवेदनशील व विकासोन्मुखी हो। आप सभी के सहयोग से ही इस प्रकार का प्रशासन दिया जाना सम्भव है। प्रदेश की जनता आप सभी पर आशा लगाये बैठी है। मुझे विश्वास है कि सरकार व विरोधी पक्ष दोनों ही सदन की कार्यवाही में रचनात्मक दृष्टिकोण से भाग लेंगे और इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रयत्नशील होंगे। मिल जुलकर बैठकर विचार-विमर्श करने तथा एक दूसरे की बात समझने की भावना को ऋग्वेद के मंत्र में इस प्रकार व्यक्त किया गया है:–

"संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनासि जानताम्।

देवां भागं यथा पूर्वे सं जानानां उपासते।।"

(हम सब मिल-जुलकर बैठें, सार्थक विचार-विमर्श करें और एक ही मनोभाव से एक दूसरे की विचारधारा में सामंजस्य स्थापित करें।)

इसी भावना से अनुप्राणित होकर विधायक के रूप में आप सब जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें, यही मेरी मंगल कामना है।

जय हिन्द।